उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 11 / सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.फि.)–68 / 2012 दिनांक : 18 मार्च 2017

लघु फिल्म / वीडियो स्पॉट निर्माण हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव आमंत्रण

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का जनहित में वीडियो स्पाट लघु फिल्म (60 से 120 सेकिण्ड तक की अवधि) के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। लघु फिल्मों के निर्माण के लिए 60 सेकिण्ड अवधि तक की फिल्म के लिए स्टैंडर्ड डीवी कैम फार्मेट में रू0 1,50,000 / – (एक लाख पचास हजार मात्र) तथा 60 से 120 सेकिण्ड तक फिल्मों को प्रोराटा आधार पर विभागीय दरें निर्धारित हैं। एचडी फार्मेट पर निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त दर निर्धारित की गई है। इन दरों में फिल्म निर्माण हेतु सभी व्यय एकमुश्त सम्मिलित हैं। विभाग द्वारा अलग से किसी व्यय को स्वीकृति नहीं दी जायेगी। सर्विस टैक्स नियमानुसार अलग से देय होगा। इसी प्रकार 60 सेकिण्ड की निर्मित फिल्म के पुन वॉयस ओवर हेतु रू0 8,000 / –(रू0 आठ हजार) तथा पुन एडिटिग हेतु रू0 10000 / – (रू0 दस हजार) विभागीय दर निर्धारित है। इससे अधिक के लिए अर्थात 120 सेकिण्ड तक की फिल्म के लिए पुन एडिंटिग एवं पुनः वायस ओवर हेतु प्रोराटा को आधार माना जायेगा।

लघु फिल्मों / वीडियो स्पॉट निर्माण हेतु सर्विस टैक्स में पंजीकृत फर्मो से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) दिनांक 20 मार्च 2017 से 09 अप्रैल 2017 तक मध्याह्न 12.00 बजे तक आमांत्रित की जाती है। प्राप्त प्रस्तावों को दिनांक 10 अप्रैल 2017 को अपरान्ह 12.00 बजे फर्मो के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों ही दशाओं में खोला जायेगा।

(EOI) **की अनिवार्य शर्तेः–**

1. फर्म का पंजीकरण सर्विस टैक्स में होना चाहिए। प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
2. फर्म अथवा फर्म के प्रोपराईटर का पैन नम्बर अवश्य होना चाहिए। पैन की प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।
3. फर्म का देहरादून में कार्यालय होना चाहिए। जिसके लिए प्रमाणिक अभिलेख संलग्न करना होगा। अभिलेख फर्म अथवा प्रोपाराईटर अथवा फर्म के द्वारा विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि के नाम पर होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा कार्यालय का निरीक्षण कराया जा सकता है।
4. फर्म द्वारा किसी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, डीएवीपी अथवा दूरदर्शन के लिए कम से कम तीन लघु अथवा दीर्घ फिल्मों का निर्माण का अनुभव हो। फर्मो को बनायी गई फिल्मों के कार्यादेश व डीवीडी संलग्न करनी होगी।
5. फर्म के पास लघु फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक सभी संसाधन, कैमरा यूनिट, स्क्रिप्ट राईटर, एडिंटिंग यूनिट, वायस ओवर, आर्टिस्ट आदि स्वयं के होने चाहिए अथवा फर्म का ऐसे लोगों से न्यूनतम 18 माह का अनुबन्ध होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
6. फिल्म निर्माण से पूर्व फर्म को स्क्रिप्ट प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है।
7. फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 25 लाख रूपये होना चाहिए। जिसके लिए प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. फर्म को स्वयं के संसाधनों से लघु फिल्म अथवा डाक्यूमेन्ट्री फिल्म एवं वीडिओ / टीवी स्पॉट के निर्माण हेतु आधार सामग्री संकलित करनी होगी। फर्म द्वारा फिल्मों के निर्माण में जो भी आंकड़े उपयोग किये जायेंगे वे प्रमाणिक होने चाहिए, जिनका समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

9. फर्म को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्पॉट फिल्म के निर्माण में किसी भी ऐसी सामग्री का समावेश न किया जाय, जिससे कापी राइट एक्ट का उल्लंघन हो।
10. फर्म को प्रत्येक स्पॉट फिल्म के अन्त में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड का कैप्शन लगाना अनिवार्य होगा। फिल्म व कैसेट में फर्म द्वारा अपना तथा अपनी टीम का कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा। फिल्म की कापीराइट का अधिकार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड का होगा।
11. उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में फर्म को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। लघु फिल्म अथवा डाक्यूमेन्ट्री फिल्म वीडिओ/टीवी स्पॉट के निर्माण में पात्रों का चयन स्थानीय बोली भाषा और संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए।
12. चयनित फर्म से उत्तराखण्ड के किसी भी स्थान का फिल्मांकन कराया जा सकता है, जो उसे अपने संसाधनों से करना होगा। विभागीय दरों के अतिरिक्त कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।
13. विभाग द्वारा EOI की शर्तों के अनुकूल अर्ह पाई गयी फर्मों का ही एम्पैनलमेन्ट (सूचीबद्व) 18 माह तक के लिए किया जायेगा।
14. फर्म को अन्तिम रूप से अनुमोदित फिल्म की मास्टर प्रति डीवी/डीवीडी में विभाग को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। चैनलों को वितरित करने के लिए निर्धारित संख्या में DV/DVD विभाग की मांग के अनुरूप प्रदान करनी होंगी जिसका भुगतान विभागीय दरों पर अलग से किया जायेगा।
15. चयनित फर्मों को रू0 1,50,000/–(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) का Performance guarantee inform of D.G./D.D/FDR Pledged in favour of Director General, DIPR जमा करना होगा।, जो विभाग द्वारा सूचीबद्धता के कार्यकाल तक बन्धक रखी जायेगी।
16. पूर्व में फर्म को राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो अन्यथा ऐसी फर्म का चयन नहीं किया जायेगा। (फर्म द्वारा इस आशय का एक घोषणा पत्र एफिडेविट देना होगा) जिसकी पुष्टि विभाग द्वारा करायी जा सकती है।
17. फर्म को भुगतान सभी टैक्स/शुल्क की कटौती कर नियमानुसार किया जायेगा, जिसके लिए पैन नम्बर व ई–पेमेन्ट से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
18. फर्म को विभाग में बजट की उपलब्धता के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
19. केवल सूचीबद्धता मात्र से ही फर्म को कार्य देने की बाध्यता नहीं होगी। महानिदेशक सूचना का निर्णय इस विषय में अंतिम होगा।
20. EOI में प्रस्तुत अभिलेखों की मान्यता पर महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
21. इच्छुक फर्में अपने विस्तृत कार्य अनुभव का उल्लेख करते हुए आगामी दिनांक 09 अप्रैल 2017 मध्याह्न 12 बजे तक अपनी अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव (**फिल्म निर्माण हेतु**) अंकित करते हुए महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग सूचना भवन लाडपुर रिंग रोड देहरादून उत्तराखण्ड के नाम सील बन्द लिफाफे में भेज सकते है।

(विनोद शर्मा)
महानिदेशक, सूचना